न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 91/2013 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरा पिता वाला जी डांगी (मृतक) के बजाय :–
   1/1. भग्गा पिता स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   1/2. दल्ला पिता स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   1/3. सक्का पिता स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   1/4. देवा पिता स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   1/5. नाथू पिता स्वर्गीय भैरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
2. पूरा पिता वाला जी डांगी (मृतक) के बजाय :–
   2/1. मेघा पिता स्वर्गीय पूरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   2/2. रूपा पिता स्वर्गीय पूरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   2/3. मु॰ वगतु पुत्री स्व॰ पूरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   2/4. मु॰ मावी पुत्री स्व॰ पूरा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
3. मावा पिता वखता जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
4. शंकर पिता वक्ता जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
5. किशनलाल पिता वक्ता जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
6. दला पिता भगा जी डांगी (मृतक) के बजाय :–
   6/1. रूपा पिता दल्ला जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   6/2. धन्ना पिता दल्ला जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
   6/3. मु॰ वक्तु पत्नी दल्ला जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
7. रामा पिता कसना जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
8. हिरा पिता देवा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
9. पूजा पिता देवा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
10. लाला पिता देवा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
11. गोता पिता देवा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा
12. चतरा पिता देवा जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रोड़ी बाई पुत्री स्वर्गीय भेरा जी डांगी (पत्नी भैरा जी डांगी), निवासी आवरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सरसी बाई पुत्री स्वर्गीय भेरा जी डांगी (पत्नी खेमा जी डांगी), निवासी खेड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती अमरी पुत्री स्वर्गीय भेरा जी डांगी (पत्नी नंगा जी डांगी), निवासी जगत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 17.04.2013, प्र.सं. 98/98

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 11–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूतिया में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात कुल किता 12 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार कुल किता 36 रकबा 5.0350 हैक्टर बने हैं तथा यह भूमियां चाह नंबर 1555 से पीवल होती हैं एवं इन भूमियों पर वादीगण अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज चले आ रहे हैं। वाद वर्णित भूमि में से आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संवत् 2009 दिनांक 24–09–1952 को चुन्नीलाल पिता शंकरनाथ माथुर निवासी कुराबड़ से दला पिता भगा डांगी ने तथा आधा हिस्सा वाला सुत

वगता, भेरा, पूरा, भीमा सुत लिम्बा, रोड़ा, उदा, जीरा, बेठा ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त दोनों विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री तत्कालीन रजिस्ट्रार गिर्वा संयुक्त राजस्थान के यहां विधिवत तरीके से हुई। तब से क्रेतागण अपने जीवनकाल में बहैसियत काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज चले आ रहे हैं, जिसे 45 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है, परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान गलती से उक्त भूमि ''माफीदा नमालूम'' अंकित हो गया, जबकि माफीदार चुन्नीलाल पिता शंकरनाथ जी माथुर निवासी कुराबड़ होकर वे ही काबिज थे, किन्तु गलती से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में लिखना रह गया। खसरा गिरदावरियों में वादीगण का कब्जा दर्ज है तथा लगान भी वादीगण ही जमा कराते चले आ रहे हैं इसलिए सेटलमेन्ट के दौरान इन्द्राज वादीगण के नाम किया जाना चाहिए था। वादीगण का 45 वर्षो से अधिक समय से लगातार निर्बाध कब्जा चला आ रहा है, जिससे एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार हो चुके है। अतएवं वाद वर्णित भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि माफी पूजनार्थ होकर देवस्थान की भूमि है, जिसे किसी को विक्रय या हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई विक्रय किया गया है तो वह कानून अवैध होकर शून्य है। वादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी उक्त भूमि के कभी खातेदार दर्ज नहीं रहे तथा न ही उनका कभी कब्जा नहीं रहा है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की :–

1. आया मौजा भूतिया की वादग्रस्त नई आराजी नंबर (वाद पत्र के पैरा नंबर 2 में वर्णित आराजी नंबर किता 36 रकबा 5.0350 हैक्टर) भूमि का बाप दादाओं के समय से वादीगण के कब्जे काश्त चल रही है, खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
2. आया वादीगण उक्त भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
3. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17–04–2013 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि उसका 45 वर्षो से कब्जा है तथा बहैसियत खातेदार होकर मालिकाना हक से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं हर वर्ष फसले बोते काटते चले आ रहे हैं। वादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा आधा हिस्सा दिनांक 24–09–1952 को 699/– रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया एवं शेष आधा हिस्सा दल्ला पिता वगा डांगी द्वारा चुन्नीलाल पिता शंकरनाथ माथुर निवासी कुराबड़ से उक्त दिनांक को ही 699/– रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से अर्थात 1952 से निरस्तर वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु सेटलमेन्ट की गलती से राजस्व अभिलेखों में ''माफीदार का नाम मालुम नहीं'' का इन्द्राज कर दिया, जबकि उक्त विक्रय शुदा भूमि के माफीदार श्री चुन्नीलाल जी माथुर थे, लेकिन राजस्व अभिलेखों में गलती से उनका नाम लिखना रह गया। भू–प्रबन्ध विभाग को बिना सक्षम आदेश के इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि विक्रेता चुन्नीलाल पिता शंकरनाथ के नाम दर्ज रही हो। अपीलान्ट ने मुख्य आधार यही लिया है कि उसके द्वारा चुन्नीलाल से भूमि क्रय की गयी, परन्तु जब विक्रेता चुन्नीलाल का ही स्वत्व प्रमाणित नहीं है तो उसके क्रेता अपीलान्ट/वादीगण का स्वत्व माने जाने का कोई आधार नहीं है। भूमियां स्पष्टतया माफीदार/पूजनार्थ होने की प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है, जबकि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनके विक्रेता अथवा उनका स्वत्व प्रमाणित होता हो। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरा के बजाय भग्गा पिता भैरा डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**91 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र सोनी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पंकज भटनागर.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।